SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OFJ.M.F.C. Gohad, DIST. BHIND (M.P)
Case No. 224/// History of the Complainant.
Name, parentage, caste and address of accused 215to 30 Galgue 2000 3028 and
The offence, complainant of, and date of, its alleged commission
आपने दिनांक 23-9/7 को समय लगभग 1:36 बजे, स्थान रिट्टा के विना कि
Judicial Magistrate First Clas
The plea of the accused and his examination (if any)Gohad distt.Bhind (M.P.)
अपराध स्वेच्छ्या स्वीकार है।
Judicial Magistrate First Class Gohad distt.Bhind (M.P.)

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

(आज विनांक २ ८०५/२०० को घोषित)

01. आरोपी को पर्वेच्छिक एरवीकृति के आधार पर उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा । विकास के तहत दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध उहराया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपी के विरूद्ध अभिलेख पर कोई 02. पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को मोटर व्हीकल एवट की धारा 1301/22 MUD तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए कमष राशि रूपये कुल २०० मा अस्य स्मित्री अर्थवण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड संदाय में व्यतिकम की दषा में अभियुक्त को दिवस की अवधि के साधारण कारावास से भुगताया जावे। जपाषुदा सम्पत्ति वाहन कार्ट स्थितिक कार्का अम्बर्धिक को 04. उसके पंजीकृत स्वामी को लौटाया जाये।

it in him to again

Garty Mish

मेरे निर्देशन पर टंकित

Judicial Magistrate First Class Gohad distr. Bhind (M.P.)